

भाग - II

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

7	परियोजना/स्कीम का स्थान		201.079 हे.														
i	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	i	मध्यप्रदेश														
ii	जिला	ii	बैतूल														
iii	वन प्रभाग	iii	वन मण्डल का नाम रामपुर भतोड़ी परियोजना मंडल, वन विकास निगम बैतूल/परिक्षेत्र का नाम चोपना वन परिक्षेत्र/वन खण्ड का नाम लोनिया / आवेदित वन क्षेत्र 201.079 हेक्टेयर है। (अ) वन विभाग के अधीन वन भूमि :- <table><tr><td>परिक्षेत्र का नाम</td><td>आरक्षित/संरक्षित वन खण्ड का नाम</td><td>कक्ष क्रमांक</td><td>आवेदित क्षेत्रफल (हे.मी)</td></tr><tr><td rowspan="4">चोपना (वन विकास निगम, बैतूल)</td><td rowspan="4">लोनिया</td><td>327</td><td>66.473</td></tr><tr><td>328</td><td>94.722</td></tr><tr><td>329</td><td>39.884</td></tr><tr><td>योग:-</td><td>201.079</td></tr></table>	परिक्षेत्र का नाम	आरक्षित/संरक्षित वन खण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्रफल (हे.मी)	चोपना (वन विकास निगम, बैतूल)	लोनिया	327	66.473	328	94.722	329	39.884	योग:-	201.079
परिक्षेत्र का नाम	आरक्षित/संरक्षित वन खण्ड का नाम	कक्ष क्रमांक	आवेदित क्षेत्रफल (हे.मी)														
चोपना (वन विकास निगम, बैतूल)	लोनिया	327	66.473														
		328	94.722														
		329	39.884														
		योग:-	201.079														
iv	वनोत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेयर में)	iv	201.079 हे.														
v	वन की कानूनी स्थिति	v	आरक्षित वन क्षेत्र है।														
vi	वनो का घनत्व	vi	आवेदित वनक्षेत्र में iv b का मिश्रित वन है जिसका घनत्व 0.2 से 0.4 तक है।														

vii	आवधिकत क्षेत्र में स्थित वक्षों की परिगणना संलग्न की जाए । सिंवाई / विद्युत परियोजना के संबंध में एक. आर.एल.एक आर एल-2 मीटर और एक आर एल-4 मीटर पर भी वृक्ष गणना संलग्न किया जाए ।	vii	संलग्न है ।
viii	भू-संरक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी। (वर्तमान भू-क्षरण की तीव्रता एवं प्रस्तावित परियोजना में वनक्षेत्र व्यपवर्तन होने पर संभावित भू-क्षरण बावत)	viii	विपरीत प्रभाव संभावित नहीं है क्योंकि प्रकरण भूमिगत खनन से संबंधित है ।
ix	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	ix	आवधिकत वन क्षेत्र आरक्षित वनखण्ड की सीमा के अंदर है ।
x	क्या आवधिकत क्षेत्र राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व आदि का भाग है? (यदि हां तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबधित की जाए ।)	x	प्रस्तावित परियोजना में आवधिकत कक्ष क्रमांक-327 , 328 एवं 329 राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी करीडोर आदि का भाग नहीं है ।
xi	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणि जात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है। यदि हां/तो तत्संबंधी ब्यौरा दे ।	xi	नहीं है ।
xii	क्या कोई संरक्षित पुरात्तावीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्त्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा संक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ, यदि आपेक्षित हो दे ।	xii	नहीं है ।
8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं, तो जांचे गये विकल्पों के ब्यौरा के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है ?	8	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता भूमिगत खनन पद्धति से कोयला उत्पादन के लिये आवश्यक है ।

9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है? (हां/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दें, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं ?	9	नहीं ।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा ।		
i	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अधिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित (बिगड़ा) वन क्षेत्र, आसपास के वन से इसकी दूरी, भू खंडों की संख्या, प्रत्येक भू खंड का आकार ।	i	आवश्यक नहीं ।
ii	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए निर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकारी (उप वन संरक्षक) का प्रमाण पत्र ।	ii	आवश्यक नहीं ।
iii	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अधिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वनक्षेत्र और आसपास की वन सीमाये को दर्शाता मैप (गैर वनभूमि भी वन मानचित्र पर दर्शाई जावे) वनीकरण हेतु चयनित भूमि का पी.डी.ए. अथवा मोबाईल मैप से सर्वेक्षित डिजिटल मानचित्र (सॉफ्टकॉपी) - 5 हेक्टेयर से कम के प्रकरणों में 1:3960 स्केल (पटवारी मानचित्र 16 इंच = 1 मील) भी संलग्न किया जावे ।	iii	आवश्यक नहीं ।
iv	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का विवरण कार्यान्वयन एजेंसी, समय अनुसूचित लागत ढांचा आदि ।	iv	आवश्यक नहीं ।
11	उप वन संरक्षक (वनमंडल अधिकारी) की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (xi, xii), 8 और 9 में पुछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	11	संलग्न है ।

12	विभाग/जिला प्रोफाईल																							
i	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	i	10043.00 वर्ग कि.मी.																					
ii	जिले का वनक्षेत्र	ii	4048.843 वर्ग कि.मी.																					
iii	मानकों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वनक्षेत्र।	iii	अभी तक कुल 50 प्रकरणों में 2211.781 हेक्टेयर वनक्षेत्र गैरवाणिज्यिकी कार्य हेतु प्रयोग में लाया गया है।																					
iv	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (दांडिक प्रतिपूरक वनीकरण सहित)	iv	24.10.80 से भारत सरकार/राज्य सरकार/नोडल अधिकारी मुख्य वन संरक्षक (भू-सर्वे) से प्राप्त स्वीकृति अनुसार अभी तक निम्नानुसार वृक्षारोपण किया जाना था।																					
v	प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	v	अभी तक निम्नानुसार वृक्षारोपण किया गया है।																					
			<table><tr><th>अनु क्र.</th><th>दुगने बिगड़े / समतुल्य वनक्षेत्र में (हे. मी)</th><th>दण्डसरूप वनभूमि पर (हे. मी)</th><th>स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. मी)</th><th>दण्डसरूप गैर वनभूमि पर (हे. मी)</th><th>योग</th><th>व्यय</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>1</td><td>155.314</td><td>2117.096</td><td>0.000</td><td>0.00</td><td>2272.41</td><td></td></tr></table>	अनु क्र.	दुगने बिगड़े / समतुल्य वनक्षेत्र में (हे. मी)	दण्डसरूप वनभूमि पर (हे. मी)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. मी)	दण्डसरूप गैर वनभूमि पर (हे. मी)	योग	व्यय	1	2	3	4	5	6	7	1	155.314	2117.096	0.000	0.00	2272.41	
अनु क्र.	दुगने बिगड़े / समतुल्य वनक्षेत्र में (हे. मी)	दण्डसरूप वनभूमि पर (हे. मी)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. मी)	दण्डसरूप गैर वनभूमि पर (हे. मी)	योग	व्यय																		
1	2	3	4	5	6	7																		
1	155.314	2117.096	0.000	0.00	2272.41																			
			<table><tr><th>अनु क्र.</th><th>दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में (हे. मी)</th><th>दण्डसरूप वनभूमि पर (हे. मी)</th><th>स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. मी)</th><th>दण्डसरूप गैर वनभूमि पर (हे. मी)</th><th>योग</th><th>व्यय</th></tr><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td>106.928</td><td>1167.389</td><td>180.271</td><td>-</td><td>1454.588</td><td></td></tr></table>	अनु क्र.	दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में (हे. मी)	दण्डसरूप वनभूमि पर (हे. मी)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. मी)	दण्डसरूप गैर वनभूमि पर (हे. मी)	योग	व्यय	1	2	3	4	5	6	7		106.928	1167.389	180.271	-	1454.588	
अनु क्र.	दुगने बिगड़े वनक्षेत्र में (हे. मी)	दण्डसरूप वनभूमि पर (हे. मी)	स्वीकृति अनुसार गैर वन भूमि पर (हे. मी)	दण्डसरूप गैर वनभूमि पर (हे. मी)	योग	व्यय																		
1	2	3	4	5	6	7																		
	106.928	1167.389	180.271	-	1454.588																			
			टीप:- अभी तक इस वनमंडल के अंतर्गत 337.491 हे. में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें राशि रुपये 29.31.222/- व्यय हुआ।																					

टीप:- अभी तक इस वनमंडल के अंतर्गत 337.491 हे. में वृक्षारोपण किया गया, जिसमें राशि रुपये 29,31,222/- व्यय हुआ।

13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा अमान्य करने के संबंध में उपवन संरक्षक का कारण सहित अभिमत। नोट- आवेदित वनभूमि के व्यपवर्तन से जिले/राज्य के वन एवं पर्यावरण पर संभावित विपरीत प्रभाव एवं प्रस्तावित परियोजना से संभावित लाभों के परिशेष्य में प्रस्ताव मान्य/अमान्य करने बाबत स्पष्ट अभिमत दिया जावे। यदि किन्हीं विशेष शर्तों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार किया जा सकता है तो उन शर्तों का ब्योरा दिया जावे।	13	1. आवेदित वनक्षेत्र कक्ष क्रमांक-आर.एफ.-327, आर.एफ.-328 एवं आर.एफ.-329 सतपुड़ा मेलघाट करीबोर की सीमा से एवं पंचमढ़ी बायोस्फियर रिजर्व की सीमा से 10 कि.मी. की परिधि में आता है। 2. आवेदक संस्थान द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत शासन से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त प्रकरण में वैकल्पिक एवं दार्डिक वृक्षारोपण की मांग अनुसार कुल राशि रुपये 25,54,62,766/- (पच्चीस करोड़ चौवन लाख बासठ हजार सात सौ छैसठ रुपये मात्र) आज दिनांक तक जमा नहीं की गयी है। वर्ष-2012 से आज दिनांक तक मंहगाई में वृद्धि होने फलस्वरूप वैकल्पिक एवं दार्डिक वृक्षारोपण हेतु आंकलित राशि में बढ़ोतरी होना अवश्यभावी है। 3. आवेदक संस्थान द्वारा आवेदित वन भूमि पर आवेदित खदान में भूमिगत कोयला उत्खनन हेतु भारत शासन से स्वीकृति प्रदान किये जाने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	--

तिथि :- 31-7-17

स्थान :- बैतूल

हस्ताक्षर
नाम साफ अक्षरों में (S. Rajeev Jha)
पदनाम
(सरकारी मोहर) North (T) Betul
D.F.O. PS